



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2011/श्रावण 11, 1933

No. 436]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2011/SRAVANA 11, 1933

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 597(अ).— भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994(1994 का 55)के अनुच्छेद 41 के उप अनुच्छेद (2) के खंड (ईई) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 22 क के खंड (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

1. अल्प नाम तथा आरम्भ - (1) इन नियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण(प्रमुख विमानपत्तन) विकास शुल्क नियम, 2011 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू माने जाएंगे।
2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक परिप्रेक्ष्य की अन्यथा आवश्यकता न हो,-
 - (क) 'अधिनियम' से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994(1994 का 55) अभिप्रेत होगा;
 - (ख) ' विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण' से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 की सं. 27) के खंड-3 के अंतर्गत स्थापित विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण से अभिप्रेत होगा;
 - (ग) 'हवाईअड्डा प्रचालक' से एक प्रमुख हवाईअड्डे के प्रबंधन तथा प्रचालन की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति या प्राधिकरण से अभिप्रेत होगा;
 - (घ) 'प्राधिकरण' से अभिप्राय, अधिनियम के खंड-3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से है।

(1)

(ड.) 'विकास शुल्क(डी एफ)' से अधिनियम के अनुच्छेद 22क के अंतर्गत लगाए जाने वाले विकास शुल्क से अभिप्रेत होगा।

(च) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 की 2) के अनुच्छेद 2 के खंड(ड.) में इसे परिभाषित अर्थ से अभिप्रेत होगा;

(2) यहां प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें इस अधिनियम तथा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 की 27) में निर्धारित किया गया है।

3. विकास शुल्क एकत्रण - विकास शुल्क, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा एकत्र किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्टानुसार ऐसे खातों में ऐसे अंतरालों पर जमा कराया जाएगा।

4. विकास शुल्क खाता - (1) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक हवाईअड्डे, जहां विकास शुल्क लगाया व एकत्र किया जाता है, के लिए एक पृथक विकास शुल्क एस्करो खाता खोला जाएगा।

(2) प्राधिकरण विकास शुल्क की प्राप्तियों तथा उपयोग की मॉनीटरिंग तथा उसे विनियमित करेगा।

(3) प्रत्येक विकास शुल्क एस्करो खाते में अनुसूचित बैंक द्वारा प्राधिकरण के साथ किए गए एस्करो करार के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा निम्नलिखित उप खाते अनुरक्षित; नियंत्रित तथा प्रचालित किए जाएंगे:

(क) विकास शुल्क प्राप्ति खाता;

(ख) विकास शुल्क सांविधिक देय खाता;

(ग) विकास शुल्क वितरण खाता;

(घ) विकास शुल्क सरप्लस खाता।

(4) विकास शुल्क के रूप में एकत्र सम्पूर्ण राशि विकास शुल्क प्राप्ति खाते में जमा कराई जाएगी।

(5) प्राधिकरण विकास शुल्क प्राप्ति खाते में जमा की गई राशि के हस्तांतरण के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में व्यवस्था करेगी, यथा

(i) विकास शुल्क सांविधिक देय खातों में राशि का भुगतान करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसी भी माह की अंतिम तिथि को, उस माह हस्तांतरित की गई राशि अगले माह की मासिक सांविधिक देय राशि के बराबर हो;

(ii) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विकास शुल्क की कुल राशि के अनुसार हवाईअड्डा प्रचालक को भुगतान किए जाने के लिए विकास शुल्क वितरण खाते में शेष राशि का भुगतान करने के लिए तथा इस खाते से हवाईअड्डा प्रचालक को निधियों का वितरण प्रत्यक्ष रूप से परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए या विकास शुल्क के प्रति ऋणदाताओं से लिए गए ऋण को सेवित करने के लिए ड्रोडाउन अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

- (iii) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अनुसार विकास शुल्क की संपूर्ण राशि के भुगतान के पश्चात किसी शेष राशि को विकास शुल्क सरप्लस खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा इस राशि का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निवेश के लिए किया जाएगा तथा इस खाते में शेष राशि, यदि कोई हो, को आगामी विकास शुल्क के निर्धारण के लिए विनियोजित किया जाएगा।
5. प्राधिकरण के प्रबंधन वाले हवाईअड्डों से इतर के हवाईअड्डों के लिए विकास शुल्क का प्रयोग - (1) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क के निर्धारण के आधार पर, प्रत्येक हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण को ड्रॉडाउन अनुसूची प्रस्तुत करेगा।
- (2) यदि हवाईअड्डा प्रचालक ने विकास शुल्क की उगाई के प्रति ऋण लिया है तो, हवाईअड्डा प्रचालक ऋणी के साथ सहमत ऋण भुगतान अनुसूची के आधार पर ड्रॉडाउन प्रस्तुत करेगा।
- (3) हवाईअड्डा प्रचालक को ड्रॉडाउन अनुसूची के अनुसार, विकास शुल्क की किश्त जारी करने के लिए ड्रॉडाउन अनुसूची में वर्णित तिथि से 15 दिन पूर्व प्राधिकरण के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- (4) हवाईअड्डा प्रचालक को विकास शुल्क की किश्तों की राशि ड्रॉडाउन अनुसूची के अनुसार तथा नियम 4 में उल्लिखित विकास शुल्क वितरण खाते में उपलब्ध शेष राशि के अनुसार जारी की जाएगी।
- (5) हवाईअड्डा प्रचालक को उक्त तिमाही के दौरान प्राप्त राशि के लिए वित्त वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिन के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) विकास शुल्कों की अगली किस्तों के लिए, उसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (7) प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक को उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को भी कह सकता है जो कि प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो।
- (8) विकास शुल्कों की अंतिम किस्त जारी करने के उपरांत हवाईअड्डा प्रचालक अंतिम किस्त के जारी किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (9) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा विकास शुल्क का उपयोग विशिष्ट प्रयोजन (स्वतंत्र लेखा परीक्षक या स्वतंत्र इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार) के लिए नहीं किया गया है तो हवाईअड्डा प्रचालक को इस राशि को निकालने की तारीख से ऐसी राशि पर प्रति वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस रेट जमा 10% पर पीनल ब्याज के आधार पर भुगतान करना होगा।
6. प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित हवाईअड्डों के संबंध में विकास शुल्क का उपयोग - विकास शुल्क की किस्तों को जारी किया जाएगा -
- (1) विकास शुल्क की किस्तों को प्राधिकरण द्वारा तैयार ड्रॉडाउन अनुसूची के अनुसार जारी किया जाएगा।

(2) आगामी किस्तें लेखा परीक्षक द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने या इंजीनियर प्रभारी द्वारा प्रगति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर जारी किए जाएंगे।

7. प्राधिकरण के खाते - प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त संपूर्ण राशि तथा खर्च की गई संपूर्ण राशि का लेखा-जोखा रखेगा।
8. यात्री घोषणा पत्र - विमानों को प्रचालित करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय प्रत्येक यात्रा के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक किसी भी रूप में, यात्रा घोषणा पत्र तैयार करेगा, जिसमें यात्रा के सभी यात्रियों के नाम शामिल होंगे और इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।
9. विकास शुल्क वापस करना - विकास शुल्क एकत्र करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को माह के दौरान प्रचालित यात्रा के संबंध में प्रचालित उड़ानों, वहन किए गए यात्रियों तथा इन नियमों के अंतर्गत लगाई गई व एकत्रित विकास शुल्क की राशि को दर्शाते हुए प्राधिकरण को प्रत्येक माह के प्रत्येक यात्रा के संबंध में अगले माह के 30 दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करनी होगी।
10. ब्याज वसूलना - कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो नियम-3 में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए विकास शुल्क की राशि को जमा कराने में विफल रहता है तो वह भारतीय स्टेट बैंक आधार दर जमा 10% की दर से प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और यह राशि विकास शुल्क एस्करो खाते में जमा कराई जाएगी।
11. विकास शुल्क की दरों का प्रदर्शन - हवाईअड्डा प्रचालक अपनी वेबसाइट पर यात्रियों द्वारा देय विकास शुल्क को प्रकाशित करेगा या प्रकाशित करवाएगा और ऐसी दरों को हवाईअड्डे ध्यानाकर्षी हिस्सों में भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

[फा. सं. एवी-20036/88/2003-एएआई]

प्रशांत शुकुल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2011

G.S.R. 597(E)— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 22A read with clause (ee) of sub-section (2) of section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Central Government hereby make the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Airports Authority of India (Major Airports) Development Fees Rules , 2011.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'Act' means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);
 - (b) "Airports Economic Regulatory Authority" means the Airports Economic Regulatory Authority established under section 3 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);
 - (c) 'Airport Operator' means a person or authority managing and operating a major airport;
 - (d) 'Authority' means the Airports Authority of India constituted under section 3 of the Act;
 - (e) 'development fees' means the development fees levied under section 22A of the Act;
 - (f) 'scheduled bank' shall have the meaning assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

2915 GI/II-2

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act and the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008).

3. Collection of development fees.- The development fees shall be collected by a person or a body of persons as specified by the Authority, and shall be deposited in such account and at such intervals, as may be specified by the Authority.

4. Development fees to have an account.- (1) The Authority shall open a separate Development Fees Escrow Account for each airport where development fees has been levied and is collected.

(2) The Authority shall monitor and regulate the receipts and utilization of development fees.

(3) Every Development Fees Escrow Account shall have the following sub-accounts maintained, controlled and operated by a scheduled bank as per the escrow agreement to be executed by the Authority with such scheduled bank, namely:-

- (a) Development Fees Receipt Account;
- (b) Development Fees Statutory Dues Account;
- (c) Development Fees Disbursement Account;
- (d) Development Fees Surplus Account.

(4) The money collected as development fees shall be deposited in the Development Fees Receipt Account.

(5) The Authority shall make an arrangement with the scheduled bank to transfer the money deposited in the Development Fees Receipt Account in the following order of priority, namely:-

- (i) to pay amount into the Development Fees Statutory Dues Account to ensure that at the last day of the month the amount transferred is equal to the monthly statutory dues for the following month;
- (ii) to pay the remaining amount into the Development Fees Disbursement Account towards payment to the Airport Operator in accordance with the total amount of development fees determined by the Airports Economic Regulatory Authority and the fund from this account shall be disbursed to the Airport Operator as per the Drawdown Schedule for meeting the project cost directly or for servicing the debt to the lenders, raised against development fees.

- (iii) any balance amount remaining after the entire amount of development fees as approved by the Airports Economic Regulatory Authority is paid, shall be transferred to Development Fees Surplus Account and the said amount shall be used for authorized investment by the Authority and the balance available, if any, in this account may be appropriated for subsequent determination of development fees.
5. Utilization of development fees in respect of airports other than airports managed by the Authority.- (1) Based on the determination of development fees by the Airports Economic Regulatory Authority, each Airport Operator shall submit a drawdown schedule to the Authority.
- (2) In case an Airport Operator has raised debt against realization of development fees, the Airport Operator shall submit the Drawdown Schedule on the basis of the debt servicing schedule agreed with the lender.
- (3) The Airport operator may in accordance with the Drawdown Schedule, submit their request to the Authority fifteen days prior to Drawdown Schedule date for the release of development fees installment.
- (4) The amount of installments of development fees shall be disbursed to the Airport Operator in accordance with the Drawdown Schedule and subject to the balance available in the Development Fees Disbursement Account as specified in rule 4.
- (5) The Airport Operator shall submit an utilisation certificate within fifteen days of the end of every quarter of the financial year for the amount received during that quarter.
- (6) For the subsequent installments of development fees, the Airport Operator shall submit utilization certificate duly certified by an independent auditor, to be appointed by the Authority.
- (7) The Authority may also ask for submission of certificate about progress of work by the Airport Operator duly certified by the independent engineer appointed by the Authority.
- (8) Upon release of the last installment of development fees, the Airport Operator shall furnish the utilisation certificate duly certified by the independent auditor within forty-five days from the date of release of the last installment.
- (9) If at any stage, it is found that the development fees has not been utilised by the Airport Operator for the specified purpose (as per the report of the independent auditor or independent engineer), the Airport Operator shall pay penal interest at

State Bank of India Base Rate plus ten percent per annum on such amount from the date of its withdrawal.

6. Utilisation of development fees in respect of airports managed by the Authority.- Release of the installments of development fees shall be made (1) The development fees shall be released in installments in accordance with Drawdown Schedule prepared by the Authority.

(2) The subsequent installments shall be subject to submission of utilisation certificate by the Auditor or the progress certificate submitted by the engineer-in-charge.

7. Accounts of the Authority.- The Authority shall keep account of all money received and expended by it in accordance with the provisions of the Act.

8. Passengers manifest.- The person or a body of persons who operates an aircraft shall, in respect of every voyage, prepare either electronically or in physical form, passenger manifest showing therein the names of all passengers on the voyage and shall present them to such person as is specified by the Authority.

9. Return of development fees.- Every person or body of persons who or which collects the development fees shall, file in respect of every month within thirty days of the following month to the Authority, a return showing particulars of the flights operated, number of passengers carried, amount of development fees levied and collected under these rules in respect of each voyage operated during the month.

10. Charging of interest.- Any person or a body of person who fails to deposit the amount collected as development fees in the manner provided in rule 3, shall be liable to pay interest at State Bank of India Base Rate plus ten percent per annum and the said amount shall be deposited in the Development Fees Escrow Account.

11. Display of rate of development fees.- The Airport Operator shall publish or cause to be published, the rate of development fees payable by a passenger, on its website and shall display such rate in a conspicuous part of the airport.

[F. No. AV. 20036/88/2003-AAI]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.